

सायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय तद्विशिष्ट जत

12-7-22 कार्यवाही पेश हुई। पी.ओ. सायालय किशनगढ़-बास
उपखण्ड के अति. उप. आयुक्ता विनांक 12-7-22 को पेश हो।

श्री. वि. प्र. शा. शा. शा.
12-7-22

12-7-22 कार्यवाही पेश हुई। पी.ओ. सायालय
उपखण्ड के अति. उप. आयुक्ता विनांक 12-7-22 को पेश हो।

श्री. वि. प्र. शा. शा. शा.

12-9-22 कार्यवाही पेश हुई। पी.ओ. सायालय
उपखण्ड के अति. उप. आयुक्ता विनांक 12-9-22 को पेश हो।

श्री. वि. प्र. शा. शा. शा.

10/10/22 वकील पक्षकारान उपा. वकील पक्षकारान उपा. ने अर्जा की अर्जा
में 3.4 फीट हो गई है। वकील पक्षकारान उपा.
22(4) जा.प. दिनांक 5/9-22 को पेश हो।

3/12/22 वकील पक्षकारान उपा. वकील पक्षकारान उपा. ने अर्जा की अर्जा
दिनांक 02-01-23 को पेश हो।

2/11/22 वकील पक्षकारान उपा. वकील पक्षकारान उपा. ने अर्जा की अर्जा
दिनांक 6/2/22 को पेश हो।

12/1/23 वकील पक्षकारान उपा. वकील पक्षकारान उपा. ने अर्जा की अर्जा
दि. 13/03/23 को पेश हो।

13-3-22 कार्यवाही पेश हुई। पी.ओ. सायालय किशनगढ़-बास
उपखण्ड के अति. उप. आयुक्ता विनांक 13-3-22 को पेश हो।

श्री. वि. प्र. शा. शा. शा.

10/4/23 वकील पक्षकारान उपा. वकील पक्षकारान उपा. ने अर्जा की अर्जा
दिनांक 9/05/23 को पेश हो।

9/5/23 पंचायती राज समिति/ग्रामों के संग अभियान
ग्रा.पं. 12.11.22 को पेश हुई। निर्णय नहीं
हो सका, आयुक्ता दि. 11/7/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरवल-तिजारा)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिदि तयल जन
25/2/25	क्रीमपवानाम ठपण वान्ते पेश करे डाक्टर 22(4)वाली निम्न 24-25 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
31/5/2025	वकील पक्षकारान उप० वास्ते पेश करे फा० फा० 22(4)वा० दी० अंतिम मौजा दिया जाता है अन्वया पत्रावली नोन कम्प्लायंस में खारिज कर दी जावेगी। आयन्दा दिनांक 5/5/25 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
5/5/25	वकील पक्षकारान उप० पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/6/25 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
3/6/2025	वकील पक्षकारान उप० पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/6/25 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
24/6/25	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। अक्षयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 29/7/25 को पेश हो।
29/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी आज भी दरख्तास्त पेश करने का मौका चाहते हैं। वर्त में उन्हें अक्षर सिमि जा चुके हैं। अतः दावा वादी नोन-कम्प्लेक्स में खारिज ठिमा जाता है। पत्रावली फँसल शुमार होकर दायित्व समाप्त हो। <i>[Signature]</i>

कोरि शर्मा

अंत